The Railway Employees' Co-operative Bank Ltd. Jaipur.

For Branch Use

APPLICATION FORM FOR "ATM CARD'

Application Sr. No.	
ATM Debit Card No.	

Branch Name _____

PERSONAL PARTICULARS

1- Name : Mr./Mrs./Ms. : _____

2- Father/Husband Name : _____ (IN BLOCK LETTERS)

3- Desig. & Dept. : _____

4- Date of Birth : (DD) (MM) (YYYY)

5. Gender : Male_____Female_____

6- Mailing Address :

7- Permanent Address :

8- Phone No./Mobile :

Residence	Office	Mobile

9- E-Mail Address :

10- Account Particulars : SB A/c No. 0 0 0 0 2 0

DECLARATION

I declare that the above information is correct. I request The Railway Emp. Co.-op. Bank Ltd.jaipur to issue a ATM Card to me. I have read and understood the terms and conditions governing the usage of ATM Card. I accept to be bound by the said terms & conditions (as enclosed) and any changes made therein from time to time by the Bank at its sole discretion without any notice to me. I unconditionally and irrevocably authorize the Bank to debit my account with an amount equivalent to the fees and charges for use of my ATM Card.

I ,without prejuidice to the above, accept the Bank's lien on all my deposits, present and future, held in the Primary A/c as well as any other Deposit accounts.

I understand that upon issuance of a duplicate ATM card, my previous ATM card of The Railway Emp. Co.-op. Bank Ltd. Jaipur will be deactivated.

Date : _____

NAME OF A/C HOLDER	SPECIMEN SIGNATURE
i)	
ii)	
iii)	

Applicant Signature

(In case of joint account, application form must be signed by all the joint account holders.)

For Branch use only:

- The primary account of the customer is conducted satisfactorily and we confirm having verified the above particulars signature.
- We also confirm having verified the above particulars/signatures/proof of having secondary accounts/and authority to operate these account as have been verified from the concerned branch.
- The application is eligible for issuance of ATM Card.
- Approved for issuance of ATM Card.

Date:_____ **Recommended by :** Orders _____

Asstt. Branch Manager **Branch Manager**

Date:entered in card generation software File No. _____ and issued card No_____

Date:_____

Received ATM Card No._____

Signature of the Account holder_____ SB A/c No._____

दी रेलवे एम्पाईज को–ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर

ए.टी.एम. कार्ड हेतु नियम एवं शर्तें

1. प्रयुक्त शब्दावली

इस प्रलेख में प्रयुक्तशब्दों एवं वाक्यांशो का अभिप्राय उनके सम्मुख दिया गया है जब तक कि संदर्भ अन्यथा इंगित न करता हो।

1.1 ए.टी.एम. :– ऑटोमैटिक टैलर मशीन

1.2 कार्ड :– ए.टी.एम. के माध्यम से ग्राहक के खाते में लेन–देन के लिये उसे जारी किया गया ए.टी.एम. कार्ड।

1.3 बैंक :– दी रेलवे एम्पलाईज को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर।

1.4 कार्डधारी :– ए.टी.एम. कार्ड का प्रयोग करने के लिये बैंक द्वारा अधिकृत सदस्य/ग्राहक।

1.5 ए.टी.एम. खाता :– बचत खाता, जो बैंक द्वारा एम.टी.एम. कार्ड के प्रयोग द्वारा परिचालन के लिए प्राधिकृत किया जाये।

2. पात्रता :–

2.1 बचत खाताधारक वयस्को को जो चैक बुक सुविधा का उपभोग करते है, को ए.टी.एम. कार्ड जारी किया जा सकता है।

2.2 संयुक्त खातों के मामले में विभिन्न खातो के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के आधार पर ए.टी.एम. कार्ड जारी किये जा सकते है–

अ) कोई एक या उत्तरजीवी किसी भी खातेदार को एटीएम कार्ड जारी किया जा सकता है। एटीएम कार्ड जारी किया जा सकता है। एटीएम कार्ड जारी करने के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले अनुरोध प्रपत्र पर सभी खाताधारकों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें।

ब) पहला या उत्तरजीवी कार्ड केवल "पहले" को ही जारी किया जा सकता है।

स) बाद वाला या उत्तरजीवी कार्ड केवल "बाद वाले" को ही जारी किया जा सकता है।

द) जिन खातो में संयुक्त रूप से परिचालन किया जाता है, उन खातों में एटीएम कार्ड जारी नहीं किया जायेगा। तथापि, संयुक्त खाताधारक अगर एटीएम सुविधा प्राप्त करने के इच्छुक हो तो उन्हें उचित रूप से परिचालन विधि में परिवर्तन करना पड़ेगा।

य) एटीएम खाते को बंद करने, आहरण करने या उसकी परिचालन विधि में परिवर्तन की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक एटीएमधारक कार्ड जारी करने वाली शाखा को कम से कम 7 कार्य दिवस पहले नोटिस सहित कार्ड को समर्पित नहीं किया जाता है।

र) समस्त संयुक्त खाताधारक नियमों एवं शर्तों से बाध्य है, जैसा भी इस संदर्भ में आवश्यक हो, हस्ताक्षकर्त्ता का दायित्व संयुक्त एवं पृथक होगा। किसी भी एक खाताधारी को दिया गया नोटिस/सूचना, समस्त खाताधारकों को दिया गया नोटिस/सूचना समझी जायेगी।

3. पिन (व्यक्तिगत पहचान संख्या) :–

एटीएम कार्डधारी को एक गुप्त नम्बर दिया जाता है, जिसकी पहचान एटीएम द्वारा उस समय की जाती है, जिस समय एटीएम के माध्यम से किसी लेन–देनको अधिकृत किया जाता है। पहली बार पिन को दृच्छिक आधार पर उत्पन्न कर शाखा द्वारा सदस्य/ग्राहक को सूचित किया जायेगा। पिन को कितनी बार भी बदलने के लिये सदस्य /ग्राहक स्वतंत्र है। सदस्यों/ग्राहकों द्वारा इस नम्बर को सावधानीपूर्वक सम्भालकर रखना चाहिये और किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में स्वैच्छिक अथवा नहीं बताया जाना चाहिये, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एटीएम से रोकड़ का आहरण कर सकता है। ऐसी स्थिति में बैंक का कोई दायित्व नहींहै।

4. लेन–देनो की अनुमति के प्रकार :–

4.1 एटीएम पर निम्नलिखित लेन–देनों की अनुमति दी गई है–

रोकड़ आहरण

रोकड़ शेष पूछताछ

5. लेन–देन आहरण :–

5.1 एटीएम से प्रतिदिन अधिकतम दो बाद नकद आहरण्र किया जा सकता है तथा एक दिन में अधिकतम ₹ 10000/– तक ही नकद आहरण की सुविधा दी जायेगी। न्यूनतम आहरण राशि ₹ 100/– होगी और समस्त आहरण केवल ₹ 100/– के गुणक में होने चाहिये। तथापि अधिकतम आहरण सीमा में परिवर्तन कार्डधारक को सूचना दिये बिना भी की जा सकती है।

5.2 किसी भी रोकड़ आहरण अथवा अंतरण अथवा किसी भी प्रकृति के आहरणों, जो भी हो, के लिये कार्डधारक एटीएम खाते में पर्याप्त राशि रखने का वचन देता हैवर्तमान में बैंक द्वारा बचत खाते हेतु निर्धारित न्यूनतम राशि (चैक बुक सहित) ₹ 1000.00 है।

5.3 अगर किसी भी कारणवश एटीएम खाते में अधिआहरण हो गया है तो समय–समय पर बैंक के नियमों के अनुसार निर्बन्ध अधिविकर्षो पर लागु ब्याज दर के अनुसार ब्याज लागू होगा।

5.4 रोकड़ पूछताछ एवं लघु विवरणों विकल्पों में जमाओं की अस्पष्ट राशि भी सम्मिलित होती है तथा यह सूचना विधि के न्यायालय में एक साक्ष्यके रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

6. गुणक खाते :–

गुणक खाते के मामले में ग्राहक/सदस्य के खातों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है जिसे बैंक के पास उसके खाते से सम्बद्ध किया जाये।

7. खाता बंद करना :–

किसी भी खाते को बंद करने अथवा अन्तरण करने संबंधी समस्त अनुरोधों के साथ खाताधारक को जारी एटीएम कार्ड को नत्थी किया जाना चाहिये।

आवेदक के हस्ताक्षर

8. निष्क्रियता खाता :–

अगर किसी कार्डधारक का खाता निष्क्रिय हो गया है (6 माह से अपरिचालित) तो शाखा प्रबन्धक स्थिति का परीक्षण करेगा और ग्राहक को कार्ड के समर्पण करने की सलाह देगा।

9. एटीएम कार्ड / पिन जारी करने के लिये प्रभार (संशोधित किये जा सकते है, वर्तमान प्रभार हेतु शाखा से सम्पर्क करें) –

9.1 एटीएम कार्ड / पिन जारी करने का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। तथापि खोये हुये / चोरी किये हुये / कटे–फटे कार्ड के बदले दूसरा कार्ड जारी करने के लिये ₹ 200 / –लिये जायेगें।

9.2 ग्राहक द्वारा अपना पिन भूलने / खोने या नया पिन जारी करने के लिये ₹ 50 / – शुल्क लिया जायेगा।

9.3 एटीएम कार्ड जारी होने के 1 वर्ष बाद एटीएम रख–रखाव हेतु ₹ 50 / – प्रतिवर्ष शुल्क लिया जायेगा।

10. एटीएम कार्ड की वैधता :–

10.1 एटीएम कार्ड वैधता द्वारा इनके जारी होने के तिथि से निर्धारित की जायेगी और तदानुसार कूट (Encode) की जायेगी। कार्ड का नवीनीकरण केवल तभी किया जायेगा, जब यह पाया जाये कि पूर्व के एटीएम लेन–देनों में कोई प्रतिकूल लक्षण दिखाई नहीं देता है और शाखा प्रबन्धक खाते के व्ययवहार से संतुष्ट है। नया कार्ड प्राप्त करने केबाद, इसे केवल पुराने एटीएम कार्ड के समर्पण के उपरान्त ही सुपुर्द किया जायेगा।

10.2 जिस ग्राहक का एटीएम कार्ड खो गया है / चुरा लिया गया है, स्टाम्पित क्षतिपूर्ति पत्र प्राप्त करने के बाद उसे दूसरा एटीएम कार्ड जारी किया जा सकता है। गुमशुदा / चोरी किये गये कार्ड के बदले दूसरा कार्ड जारी करने के लिये ₹. 200.00 का शुल्क प्राप्त किया जायेगा। इसे नये पिन के साथ एक कार्ड के स्थान पर दूसरा कार्ड माना जायेगा लेकिन इस कार्ड की वैधता अवधि वही होगी जो कि पहले वाले कार्ड की थी।

11. एटीएम कार्ड का स्वामित्व :–

एटीएम कार्ड का समग्र स्वामित्व बैंक का होगा। ग्राहकों को ये कार्ड एटीएम मशीन द्वारा सव्यवहार करते समय उनकी पहचान करने में मदद करने के लिये जारी कियेजाते है और जब तक खाते का संचालन है तब तक ये कार्ड ग्राहक के पास रह सकते है अथवा बैंक भी इन कार्डों को वापस मांग सकता है। खाता के बंद होने अथवा वैधता की अवधि समाप्त होने या किसी भी समय बैंक द्वारा अनुरोध किये जाने पर कार्डधारक को ये कार्ड बैंक मेंसमर्पित करने पड़ेगें।

12. अहस्तान्तरणीयता :–

एटीएम कार्ड हस्तान्तरण योग्य नहीं है और इसका प्रयोग केवल जारी किये गये कार्डधारक द्वारा ही किया जायेगा।

13. एटीएम कार्ड का गुम / चोरी हो जाना :–

13.1 कार्डधारक, कार्ड के खोने या चोरी होने के लिये उत्तरदायी है साथ ही कार्ड के अनाधिकृत रूप से प्रयोग होने की सूचना यथाशीघ्र लिखित में खाता रखने वाली शाखा को सूचना देने के लिये जिम्मेदार है। कार्डधारक एवं संयुक्त खाताधारक, अगर कोई हो, कार्ड के प्रयोग द्वारा होने वाले किसी भी लेन–देन के लिये जिम्मेदार होगा, इस तथ्य के बावजूद भी कि कार्ड के गुम होने / चोरी होने और / अथवा कार्ड के अनाधिकृत प्रयोग की सूचना दे दी गयी है, लेकिनजब तक कार्ड निरस्त / जब्त नहीं किया जाता है और इस प्रकार के प्रभाव का नोटिस कार्ड जारी करने वाली शाखा द्वारा कार्डधारक को लिखित में नहीं दे दिया जाता है।

13.2 गुमशुदा एटीएम कार्ड के बदले या एटीएम कार्ड बैंक द्वारा निर्धारित (वर्तमान में ₹ 200.00) शुल्क प्रभारित कर जारी कर दिया जायेगा, साथ ही इस उद्देश्य के लिये कार्डधारक द्वारा बैंक को एक क्षतिपूर्ति पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ेगा।

14. जब्त कार्ड :–

14.1 कुछ एटीएम पर, कार्ड को निम्नलिखित कारणों से जब्त किया जा सकता है–

1) कार्डधारक द्वारा लगातार तीन बार गलत पिन दर्ज करना।

2) कार्ड के गुमशुदा / चारी होने की घोषणा करने पर।

3) एटीएम के यांत्रिक दोष।

4) कार्ड धारक द्वारा एटीएम कार्ड रीडर में कार्ड असावधानीपूर्वक छोड़ देने पर।

14.2 जब्त किये गये कार्ड को कार्डधारक की उचित पहचान एवं बैंक की संतुष्टि के बाद ही सुपुर्द किया जायेगा। अगर बैंक द्वारा डुप्लीकेट कार्ड जारी कर दिया गया है तो जब्त किये गये कार्ड को बैंक द्वारा नष्ट कर दिया जायेगा।

15. एटीएम कार्डधारक की मृत्यु :–

कार्डधारक की मृत्यु के मामले में खाते को बंद करने या उसके उत्तराधिकारियों द्वारा खाते के परिचालन की अनुमति देने से पूर्व बैंक को आवश्यक रूप से कार्ड वापिस प्राप्त करने चाहिये।

16. बैंक का ग्रहणाधिकार :–

ग्राहकों के खाते में पड़ी वर्तमान अथवा भावी जमाओं पर किसी अन्य ग्रहणाधिकार अथवा प्रभाव का ध्यान किये बिना बैंक को समायोजन एवं ग्रहणाधिकार का अधिकार प्राप्त होगा चाहे व जमायें एक नाम अथवा संयुक्त नामों में है और वे समस्त बकाया राशि की सीमा तक है जो कि इस सुविधा के विस्तार और अथवा ग्राहक द्वारा प्रयुक्त सुविधा के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हो।

17. अखण्डनीय प्राधिकार :–

बैंक को प्रदत्त समस्त प्राधिकार एवं एतद् स्वीकृत समस्त शर्तें अखण्डनीय है।

आवेदक के हस्ताक्षर

18. एटीएम खाते को नामे करने का अधिकार :–

एटीएम के प्रयोग द्वारा प्रक्रियारत लेन–देनों के लिये बैंक का अभिलेख अंतिम एवं समस्त उद्देश्यों के लिये बाध्यकारी होगा। संयुक्त खाताधारक, यदि कोई हो सहित कार्डधारक एटीएम कार्ड से संबंधित समस्त लेन–देनों के लिये संयुक्त रूप से पृथक रूप से जिम्मेदार होगा और एटीएम कार्ड के प्रयोग द्वारा किसी भी प्रकृति के आहरण के लिये बैंक रिकार्ड के अनुसार बैंक को एटीएम खाते को डेबिट करने का अधिकार और साथ ही समय–समय पर बैंक द्वारा निर्धारित एटीएम कार्ड से संबंधित प्रभारी/शुल्को/लागतो/ब्याज आदि प्राप्त करने का अधिकार बैंक को देता है।

19. एटीएम कार्ड का आदरण करना :–

बैंक किसी भी परिस्थिति में कार्डधारक के प्रति उत्तरदायी नहीं है अगर एटीएम कार्ड किसी भी कारणवश आदृत नहीं किया गया है अथवा किसी केन्द्र पर एटीएम सेवा में कोई बाधा उत्पन्न हो गइ है /किसी भी सेवा को उपलब्ध करने में असफल रहने अथवा किसी दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ रहने,जहां ऐसी असफलता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आरोप्य है, बिजली फेल हो गई या ऊर्जा आपूर्ति अवरूद्ध है अथवा एटीएम/कार्ड ठीक से कार्य नहीं कर रहे है या एटीएम में पर्याप्त रोकड़ नहीं है अथवा कोई अन्य कारण हो तो बैंक कतई जिम्मेदार नहीं होगा तथा इस प्रकार की उत्पन्न किसी भी स्थिति के परिणामस्वरूप कार्डधारक को होने वाली किसी भी हानि अथवा क्षति के लिये बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

20. क्षतिपूरण :–

कार्डधारक अपने द्वारा की गई किसी भी भूल–चूक अथवा किसी भी शर्त की विपरीतता और यहां कि अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हानि या क्षति के लिये बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

21. नियमों एवं शर्तों में परिवर्तन :–

अ) बैंक को किसी भी समय, ग्राहक को सूचना दिये बिना किसी भी नियम एवं शर्त में संशोधन करने, परिवर्तन करने, कम करने या जोड़ने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

ब) एटीएम परिचालन समय पूर्णरूपेण बैंक के विवेक पर निर्भर करेगा और बिना किसी पूर्व सूचना के बैंक इसमें कोई भी परिवर्तन कर सकता है।

स) बैंक को बिना कोई कारण बताये एटीएम को एक्सेस करने अथवा एटीएम सुविधा/किसी भी व्यक्ति की एटीएम सेवा को समाप्त करने का अपने विवेकानुसार पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

22. शासी विधि एवं विवाद समाधान :–

एतद् उपरोक्त शर्तें, कार्ड के रिवाज एवं परिचालन भारत के कानून द्वारा शासित होंगे तथा समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र निरपवाद रूप से जयपुर(राजस्थान) होगा।

मैनें/हमनें उपरोक्त नियमों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और मैं/हम अपनी स्वीकृति देता हूँ/देते हैं। उपरोक्त नियमों की विषयवस्तु मेरे/हमारे द्वारा पढ़ लिया है और इसकी व्याख्या मेरी/हमारी मातृभाषा में की गई है तथा मैं/हम उनका पालन करने के लिये बाध्य हूँ/हैं।

बैंक के विशेष दिशा निर्देश :–

बैंक द्वारा या बैंक के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ग्राहक (सदस्य–एटीएम धारक) से खाता संख्या/पीन नम्बर/CVC नं. की पूछताछ मौखीक या दूरभाष/मोबाईल द्वारा नहीं की जाती है। यदि कोई ग्राहक उपरोक्त निर्देश के बावजूद भी सूचनायें देता है तो वे स्वयं जिम्मेदार होगें।

दिनांक : .....

स्थान : .....

आवेदक(कों) के हस्ताक्षर